<u>प्रारूप</u>

भारत के राजपत्र के भाग - II, अनुभाग - 3, उप - अनुभाग (1) में प्रकाशित

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक :

अधिसूचना

सा.का.नि.___ राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में **कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला शिल्पविज्ञानी** के पदों पर भर्ती की पद्दती का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है। अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (ग्रुप - सी, अराजपत्रित पद) भर्ती नियम है।
   (II) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्दती , आयु - सीमा, अर्हता आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।
4. **निरर्हता.** - वह व्यक्ति, --
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :
   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उसे लिखित रिकॉर्ड तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके शिथिलता को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की श्रेणीगत या किसी वर्ग के संबंध में कर सकेंगी।
6. व्यावृत्ति. -- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेंगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किया गए आदेशों के अनुसार जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला शिल्पविज्ञानी के पद के लिए भर्ती नियम
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सह अस्पताल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

1	पद का नाम	कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला शिल्पविज्ञानी
2	पदों की संख्या	33 पद (2015)
3	पद का वर्गीकरण	सामान्य,केंद्र सेवा ग्रुप - सी, अलिपिक वर्गीय अराजपत्रित
4	वेतनमान	पी.बी - I (5200 - 20200) जी.पी - 2800
5	क्या पद चयनित या अचयनित है	लागू नही
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	25 वर्ष से अधिक नही (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग सरकारी कर्मचारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों के अनुसार छूट **टिप्पणी:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ऐसे पदों की बावत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है , आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है ।
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योगताएं	विज्ञान विषयों के साथ 10+2 डी.एम.एल.टी किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का संबन्धित अनुभव **वांछनीय:** चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक उपाधि
8	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु एवं शैक्षणिक योगताएं निर्धारित हैं	लागू नही
9	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	2 वर्ष
10	भर्ती की विधि	100% सीधी भर्ती
11	भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण	लागू नही
12	यू.पी.एस.सी की परिस्थिति में परामर्श	लागू नही
13	पुष्टीकरण के विचार हेतु संगठन/समिति	1. उप - प्रधानाचार्य, - अध्यक्ष 2. प्रयोगशाला के वरिष्ठ विभागाध्यक्ष -सदस्य 3. प्रयोगशाला विभाग के कोई भी आचार्य विशेषज्ञ जो सूक्ष्मजीव विज्ञान/ जीवरसायन विज्ञान/विकृति विज्ञान से संबन्धित हो - सदस्य 4. आरक्षित श्रेणी से प्रतिनिधित्व सदस्य- सदस्य